डिस्कलेमर

आदेश संख्या 07/2023-24 के मुख पृष्ठ, प्राधिकरण के निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी//सैलेबी/जीएच/अहमदाबाद/सीपी-III/2021-26

आदेश संख्या 07/2023-24

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सी.जी.एच.आई.पी.एल.) द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 26.05.2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

अध्याय 7 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

सीजीएचआईपीएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय में दिए गए) का सार इस प्रकार है:

अध्याय	**पैरा**	**प्राधिकरण के निर्णयों का सार**	**पृष्ठ संख्या**
अध्याय संख्या 2	2.7	प्राधिकरण सीजीएचआईपीएल के संबंध में अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण कार्य को **"लाइट टच अप्रोच"** के अंतर्गत मानने का निर्णय लेता है, क्योंकि विनियमित सेवा **'मटीरियल नहीं'** समझी जाती है।	08
अध्याय संख्या 3	**3.12**	प्राधिकरण तालिका 3 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित हवाई यातायात (आईएसपी द्वारा संचालित की जाने वाली उड़ानों) को मानने का निर्णय लेता है।	10
अध्याय संख्या 4.	4.11	प्राधिकरण तालिका 4 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के संबंध में आईएसपी के लिए कैपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	13
अध्याय संख्या 5.	5.12	प्राधिकरण तालिका 5 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ओपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	17
अध्याय संख्या 6.	**6.24**	प्राधिकरण अहमदाबाद हवाईअड्डे पर सीजीएचआईपीएल द्वारा शेड्यूल्ड उड़ानों, अंतरराष्ट्रीय "नॉन शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन उड़ानों" के संबंध में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए **संलग्नक (I, II और III)** के अनुसार टैरिफ दरों और शेड्यूल्ड तथा नॉन'-शेड्यूल्ड प्रचालकों के लिए मदवार टैरिफ दर कार्ड को मानने का निर्णय लेता है।	22
	6.25	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन-शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ, इनमें ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभार भी शामिल हैं, समान श्रेणी के विमान (नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।	
	6.26	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।	**23**
	6.27	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि **संलग्नक (I, II और III)** में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित	

		टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।	
	6.28	प्राधिकरण यह भी निर्णय लेता है कि सीजीएचआईपीएल नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 27.10.2022 के पत्र संख्या एवी–24011/10/2021-एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।	

अध्याय 8 : <u>आदेश</u>

रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री और सीजीएचआईपीएल द्वारा की गई प्रस्तुति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सरदार वल्लभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में प्रदान की जा रही ग्राउंड हैंडलिंग सेवा **"मटीरियल नहीं"** है। इसलिए प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए **'लाइट टच अप्रोच'** अपनाने का निर्णय लेता है।

(ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि **संलग्नक** (**I, II और III**) में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।।

(iii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि "अंतरदेशीय नॉन–शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों" के लिए टैरिफ, इसमें ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभार भी सम्मिलित हैं, समान श्रेणी के विमान(नों) की संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iv) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।

(v) इसमें निर्धारित टैरिफ दरों में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(vi) मैसर्स सीजीएचआईपीएल ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 (खंड 11.4) के अनुसार अहमदाबाद, हवाईअड्डे पर अपने ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालनों के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करेगी और प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों सहित वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।

(vii) यह टैरिफ आदेश **01.06.2023** से प्रभावी होगा।

(viii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(**कर्नल मनु सूदन**)
सचिव

सेवामें,

श्री लक्ष्मण कुमार प्रसाद, **सीएफओ**,
मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (**सीजीएचआईपीएल**),
कमरा संख्या सीई-01, इंपोर्ट बिल्डिंग 2,
अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली -110037

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी, सरदार वलल्लभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद